P-1	R.M.M. Law college - Saharsa.
	Manvendra Mandal, Parttime Lecturer — Subject - Contract - IInd, Part - IInd

(धारा 162) → उपनिधान की समाप्ति (Termination of Bailment)
निम्न परिस्थितियों में उपनिधान समाप्त हो जाता है –
(1) अवधि के बीतने पर → जब Bailment की संविदा किसी निश्चित अवधि के लिए होती है तो अवधि की समाप्ति पर Bailment समाप्त हो जाता है।
(2) उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात → जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए Bailment का सृजन हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात उपनिधान समाप्त हो जाता है।
(3) उपनिहित माल का अनधिकृत प्रयोग करने पर → यदि उपनिहित माल का प्रयोग शर्तों के विपरीत किया जाता है तो Bailment समाप्त हो जाता है।
(4) आनुग्रहिक रूप से उधार दिये गये माल का उपनिधान → किसी चीज को उपयोगार्थ उधार देने वाला, यदि वह उधार आनुग्रहिक रूप से दिया गया है किसी भी समय ऐसे Bailment को समाप्त किया जा सकता है।
(5) उपनिधान के विषयवस्तु के नष्ट होने पर → यदि Bailment की विषय वस्तु नष्ट हो गयी हो या उद्देश्य के अयोग्य हो गयी हो तो Bailment का का अन्त हो जायगा।
धारा 162. आनुग्रहिक उपनिधान का मृत्यु से पर्यवसान → आनुग्रहिक उपनिधान Bailor या Bailee की मृत्यु से मृत्यु पर निःशुल्क उपनिधान का अन्त (Termination of gratuitous Bailment by death) → निःशुल्क उपनिधान की समाप्ति (a) Bailor और (b) Bailee की मृत्यु से हो जाता है। उपनिहित की गई वस्तु के प्रति हुई क्षति के लिए उपनिहिती उत्तरदायी होता है। व्यक्ति के मृत्यु के साथ उसके वाद का भी अन्त हो जाता है। उपनिहिती (Bailee) की मृत्यु पर दायित्व समाप्त नहीं होता है, बल्कि उसका सम्पदा दायी होती है।

The end.

Scanned with CamScanner